गुरमीत राम से पहले, जे.
सोमी देवी और अन्य - अपीलकर्ता
बनाम
हरियाणा राज्य-प्रतिवादी

2003 का सीआरए-एस नंबर 2146-एसबी
23 सितंबर 2015

भारतीय दंड संहिता, *1860* - एस.एस. *304*-बी, *201, 120*-बी और *34* -शिकायतकर्ता राजाराम (मृतका भतेरी के पिता) ने एफआईआर दर्ज कराई क्रमांक *397* दिनांक *23.08.2002* धारा *304*-बी, *201, 120*-बी, *34* आईपीसी के तहत राजिंदर कुमार (पति), सोमी देवी (सास) के खिलाफ, मेहर सिंह (ससुर) और अन्य रिश्तेदार - अभियोजन "मृत्यु से ठीक पहले" की गई शिकायत के आधार पर - मांग की गई राजिंदर कुमार-मृतका के पति द्वारा माह में जनवरी, *2002* - इसके बाद, शिकायतकर्ता की बेटी (तब से)(मृतक) को *25.05.2002* को वैवाहिक घर ले जाया गया, उसकी मृत्यु हो गई *28.05.2002* - मृत्यु का पता चलने पर शिकायत दर्ज की गई *25.09.2002* — "मृत्यु से तुरंत पहले" शब्दों को सीमित नहीं किया जा सकता समय की एक विशेष सीमा तक - सभी रिश्तेदारों को इसमें शामिल करने की सामान्य प्रवृत्ति अप्राकृतिक मौत के मामले - ससुर और सास को सजा कानून रद्द.

निर्धारित किया गया है। कि अब तक "मृत्यु से ठीक पहले" शब्द प्रचलित हैंचिंतित है कि इसे निर्धारित सीमा के भीतर परिभाषित नहीं किया जा सकता है इस तरह की अवधारणा को न्यायालय द्वारा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों और आचरण के प्रकाश में पार्टियों कीनिर्धारित किया जाना है।इस उद्देश्य के लिए जो आवश्यक है ,वह यह है कि, कथित क्रूरता और(पीड़ित की मौत) अपराध की तारीख के बीच कोई असाधारण देरी होनी चाहिए नहीं होना चाहिए।
इसका अर्थ है कि इस प्रकार ये दो घटनाएं के बीच निकटता होनी चाहिए। मामले के तथ्यों पर पहले ही इस निर्णय के पैरा नंबर 2 में ऊपर चर्चा की जा चुकी है। स्पष्टता के लिए, इसका उल्लेख किया गया है इसमें अपीलकर्ता राजिंदर कुमार ने कुछ सरकारी नौकरी दिला देना की के जनवरी, 2002 के महीने में शिकायतकर्ता से 50,000

—55,000/- रुपये की राशि की मांग की शिकायतकर्ता ने इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थता जताई। वह फिर से शिकायतकर्ता के पास आया।

5-7 दिनों के बाद और अपनी पहले की मांग उठाई। शिकायतकर्ता ने उसे एक प्रस्ताव दिया रु. 3,000-4,000/- की राशि। तब उनके दामाद ने उन्हें बताया कि उनकी मांग थी 50,000-55,000/- रुपये की राशि के लिए और जबकि वह उसे केवल रु. 3,000 - 4,000/- दे रहा था। जब शिकायतकर्ता ने ऐसा करने में असमर्थता दिखाई।
फिर वह शिकायतकर्ता को यह कहकर मौके से चला गया कि वह अपनी बेटी को उसके पास भेज देगा और उस समय तक उपरोक्त राशि की व्यवस्था करेगा और उसकी बेटी को इस पैसे के साथ वापस भेज देगा।
शिकायतकर्ता की बेटी 4-5 दिनों के बाद उसके पास आई और उसे अपने ससुराल वालों के बारे में अपनी दुखती कहानी सुनाई की वे उससे उपरोक्त राशि की मांग कर रहे हैं, जिसमें विफल रहने पर उसे मार दिया जाएगा।
उसे को कुछ अन्य सम्मानजनक लोगों के साथ 25-5-2002 को ससुराल ले गया था को । अपने ससुराल वालों को ऐसा न करने के लिए मनाने के बाद, वे शिकायतकर्ता की बेटी को वहां छोड़कर वापस आ गए । शिकायतकर्ता को 29-5-2002 को उसकी मृत्यु की जानकारी मिली पर 28.05.2002 की रात को उसकी ससुराल में मृत्यु हो गई थी।
तो, उपरोक्त पूरा तथ्य इस अकाट्य निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं कि शिकायतकर्ता की बेटी को उसके सामने जल्द ही नकदी की मांग पर क्रूरता का शिकार होना पड़ा था। उसके पति द्वारा मृत्यु और उसकी मृत्यु असामान्य परिस्थितियों अप्राकृतिक तरीके से में हुई थी।

(पैरा 23)

इसके अलावा कहा गया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113-बी के प्रावधानों के तहत प्रदान की गई धारणा राजिंदर कुमार के खिलाफ - अपीलकर्ता, जो भटेरी देवी (अब मृत) का पति था बनाई जा सकती है

(पैरा 25)

आगे कहा गया कि अभियोजन पक्ष के रिकॉर्ड के अनुसार शिकायतकर्ता की मुख्य दलील यह थी कि अपीलकर्ता राजिंदर कुमार अपनी पत्नी (मृत्यु के बाद से) के साथ-साथ अपने ससुराल वालों को 50,000 -55,000/- रुपये की रकम देने के लिए परेशान कर रहा था,ताकि उसे कोई सरकारी नौकरी मिल सके। इसी उद्देश्य से वह अपने ससुर के घर गया दो बार और जब उसके ससुर उसकी यह मांग पूरी नहीं कर सके, तो उसने उससे कहा कि वह अपनी बेटी को उससे उक्त राशि लेने के लिए उसके पास भेजेगा और यदि वह इस राशि की व्यवस्था नहीं कर सका, तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर उसे अपनी बेटी को उसके पास भेजने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे अपने ही घर में रख ले है। उसकी बेटी उसके पास आई और उसे अपनी व्यथा कथा सुनाई। शिकायतकर्ता कुछ सम्मानित लोगों के साथ उसे अपने ससुराल ले गया और ससुराल वालों के समझाने पर 25.5.2002 को उसे ससुराल में छोड़

दिया गया, जहां 28-29.5.2002 की मध्य रात्रि को उसकी मृत्यु हो गई। .तो ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता से 50,000-55,000/- रुपये की उपरोक्त राशि प्राप्त करने का लाभ, यदि कोई हो, केवल उसके दामाद राजिंदर कुमार को ही था। रिकॉर्ड पर इस बात का कोई ठोस और विश्वसनीय सबूत नहीं है कि अपीलकर्ताओं सोमी देवी और मेहर सिंह ने कभी भी शिकायतकर्ता की बेटी (मृतक के बाद से) को दहेज या नकद में दहेज की मांग करके परेशान किया था। इसके अलावा, हमारे समाज में यह एक सामान्य चलन है कि दुल्हन की ससुराल में या कहीं और अप्राकृतिक मृत्यु होने पर पति (दूल्हे) के सभी करीबियों और रिश्तेदारों को अधिकतम संख्या में शामिल किया जाता है। उसकी मौत को दहेज हत्या बताया गया। इसलिए रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत अपीलकर्ता राजिंदर कुमार की दोषसिद्धि और सजा के आदेश को बनाए रखने के लिए पर्याप्त माने गए हैं और जबकि अपीलकर्ता सोमी देवी और मेहर सिंह उनकी सजा के आदेश को बनाए रखने के लिए इसे पर्याप्त नहीं पाया गया है।

(पैरा 28)

दिनेश त्रेहान, अपीलकर्ता के लिए वकील
2003 का सीआरए-एस-2146-एसबी और 2004 का सीआरए-एस-389-एसबी।
याचिकाकर्ता के वकील जीएस संधू
2004 की सीआरआर संख्या 460
विजेश शर्मा, डी.ए.जी., हरियाणा।

गुरमित राम, जे.

(1) 2003 के उपर्युक्त सीआरए-एस-2146-एसबी को प्राथमिकता दी गई है - 2-अपीलकर्ताओं द्वारा - आरोपी सोमी देवी और मेहर सिंह और 2004 के सीआरए-एस-389-एसबी को अपीलकर्ता - आरोपी राजिंदर कुमार द्वारा क्रमश: 11.11.2003 और 13.11.2003 के आक्षेपित फैसले और सजा के आदेश के खिलाफ प्राथमिकता दी गई है। , विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, करनाल की अदालत द्वारा आईपीसी की धारा 304-बी, 201, 120-बी/34 के तहत एफआईआर संख्या 397 दिनांक 23.8.2002 वाले आपराधिक मामले में पारित किया गया, जिसके तहत उन्हें दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। धारा 304-बी और 201 के तहत आईपीसी के जबकि उनके शेष सह-अभियुक्तों अर्थात् राम भज, शेर सिंह, फुल्ला, जय किशन, धर्मा और मांगे राम को उक्त आरोपों से बरी कर दिया गया।

(2) 2004 की उपर्युक्त सीआरआर संख्या 460 को प्राथमिकता दी गई है ,शिकायतकर्ता राजा राम ने उपर्युक्त आक्षेपित निर्णय और सजा के आदेश के खिलाफ वर्तमान अपीलकर्ताओं की सजा की मात्रा को संशोधित करके और उनके सह-अभियुक्तों (अब उत्तरदाताओं संख्या 3 से 6 और 8 से 10) को दंडित करने के लिए सजा को बढ़ाने के लिए आदेश दिया है। जिन्हें आक्षेपित निर्णय द्वारा बरी कर दिया गया है।

(3) संक्षेप में कहा गया है, विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन का मामला यह था कि 23.8.2002 को शिकायतकर्ता राजा राम पुत्र कांता राम, निवासी गांव मूनक, जिला करनाल पुलिस चौकी, राम नगर में आए और

एक आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन की सामग्री इस प्रकार थी :-

“उन्होंने अपनी बेटी भतेरी की शादी की राजिंदर कुमार पुत्र मेहर सिंह निवासी गली के साथ नंबर 9, शिव कॉलोनी, करनाल करीब तीन साल पहले ,भारतीय संस्कार और समारोह के अनुसार कराई थी। जनवरी, 2002 के महीने में, उनका दामाद उनके पास आया और यह कहते हुए 50,000 - 55,000/- रुपये की मांग की कि उन्हें कुछ सरकारी नौकरी पाने के लिए इस राशि की आवश्यकता है। उसने उसे आश्वासन दिया कि नौकरी ज्वाइन करने पर वह यह रकम उसे लौटा देगा। इस पर शिकायतकर्ता ने उससे कहा कि वह गरीब आदमी है इसलिए उसके पास इतनी रकम नहीं है। उसने उससे आगे कहा कि वह उसे केवल छोटा ही दे सकता है वह राशि जो वह उसके भीतर आकर उससे प्राप्त कर सकता है कुछ दिन। फिर उनका बताया हुआ दामाद 5-7 दिन बाद उनके पास आया और उससे पैसों की मांग की जब शिकायतकर्ता ने उन्हें 3,000-4,000/- रूपये दिये, तब उनके दामाद ने उन्हें बताया कि उनकी मांग 50,000-55,000/- रुपये की थी और जबकि आप उसे केवल 3,000 - 4,000/- रुपये दे रहे हैं। इस पर उनके दामाद ने उनसे कहा कि वह भेज देंगे उनकी बेटी ने उनसे यह राशि एकत्र करने के लिए कहा, ऐसा न करने पर उसकी बेटी को भी अपने पास रखें। उन्होंने आगे बताया कि उनके पास है उनके वैवाहिक गठबंधन के लिए कई अन्य प्रस्ताव।

फिर 4-5 4 दिन बाद उनकी बेटी उनके घर आई, पूछताछ करने पर वह रोने लगी और बताया कि ससुराल वाले उस से 50,000-55,000/- रुपये की मांग कर रहे हैं उन्होंने उससे यह भी कहा कि अगर वह अपने माता-पिता से यह रकम नहीं लाएगी तो वे उसे खत्म कर देंगे। फिर दिनांक 25.5.2002 को शिकायतकर्ता अपने भाइयों बदलू राम, परमाल सिंह और राम कुमार आदि के साथ अपनी बेटी को ससुराल ले गया। उन्होंने अपनी बेटी के ससुर मेहर सिंह को समझाया कि उनके पास इतनी रकम नहीं है.परिवार के अन्य सदस्यों को समझाने के बाद

उसके ससुराल वाले भी वापस आ गए। 29.5.2002 को शिकायतकर्ता को पता चला कि उसकी उपरोक्त बेटी की मृत्यु हो गई है। सुबह करीब 10:00/11:00 बजे जब वे लोग अपनी बेटी के ससुराल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि भतेरी देवी का दाह संस्कार हो चुका है.इस संबंध में जब उन्होंने विरोध जताया तो उनकी बेटी के ससुराल वालों ने

उन्हें बताया कि भतेरी देवी की कल रात पेट दर्द के कारण मौत हो गयी है. शुरुआत में, शिकायतकर्ता ने उनकी बात को सच माना, लेकिन आस-पड़ोस से पूछताछ करने पर पता चला कि उसकी बेटी की 28 मई 2002 की रात को उसके पति राजिंदर कुमार, उसके ससुर ने गला घोंटकर हत्या कर दी थी। कानूनगो मेहर सिंह और सास सोमी देवी पर 50,000 रुपये न लाने का आरोप लगाया.

(4) शिकायतकर्ता राजाराम के उपरोक्त कथन पर, एस.आई पुलिस चौकी राम नगर के प्रभारी राजिंदर सिंह ने उसी दिन अपना समर्थन दिया, जिसके आधार पर तत्काल मामला दर्ज किया गया। आरोपियों को पकड़ लिया गया.इस मामले की जांच डीएसपी ओम प्रकाश नरवाल ने शुरू की थी. दहेज का सामान बरामद कराया गया। घटनास्थल का साइट-प्लान भी तैयार किया गया. मामले की जांच के दौरान, आरोपी राम भज, शेर सिंह, फुल्ला, जय किशन, धर्मा और मांगे राम को भी इस घटना में शामिल पाया गया और इस प्रकार उन्हें इस मामले में आरोपी व्यक्ति नामित किया गया। गवाहों के बयान दर्ज किये गये. जांच पूरी होने पर, इस मामले में चालान विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करनाल की अदालत में पेश किया गया, जिन्होंने सीआरपीसी की धारा 207 के प्रावधानों का अनुपालन करने के बाद इस मामले को सुनवाई के लिए विद्वान सत्र न्यायाधीश, करनाल की अदालत में भेज दिया।

(5) आईपीसी की धारा 120-बी, 201 के साथ पठित धारा 34 और 304-बी के तहत प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए, आरोपियों पर तदनुसार आरोप पत्र दायर किया गया, जिसके लिए, उन्होंने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमे का दावा किया।

(6) मामले की सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने अपने संस्करण को साबित करने और आरोपी को कानून के अनुसार दंडित करने के लिए कुल आठ गवाहों की जांच की।

(7) फिर आरोपियों से सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आवश्यकतानुसार विधिवत पूछताछ की गई। उनके ख़िलाफ़ मामले की सुनवाई के दौरान फ़ाइल में लाए गए सभी आपत्तिजनक साक्ष्य और अन्य -6-परिस्थितियाँ उनके सामने रखी गईं, जिन्हें उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा आरोपी राजिंदर कुमार ने दलील दी कि उसे और अन्य आरोपियों को शिकायतकर्ता राजा राम ने पीडब्ल्यू एसआई राजिंदर सिंह की मिलीभगत से इस मामले में झूठा फंसाया है। उन्होंने कभी भी भतेरी देवी को किसी भी बात पर परेशान नहीं किया। प्री-मैच्योर

डिलीवरी के बाद भी उनका एस.डी. से इलाज जारी रहा। महाबीर दल अस्पताल, करनाल। उनकी आगे दलील थी कि उनकी बहन पिंकी ने उनकी मां सोमी देवी के माध्यम से 17.7.2002 को करनाल में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 (आई) और 13 के तहत एक याचिका दायर की थी। इसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता की मिलीभगत से पुलिस बिना किसी गलती के उन्हें इस मामले में शामिल करने में सफल रही। यहां तक कि सह-अभियुक्त राम भज ने उक्त पीडब्ल्यू एसआई राजिंदर सिंह के खिलाफ इंस्पेक्टर विजिलेंस के समक्ष 1.9.2002 को उनसे रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज की थी, जिस पर उपायुक्त, करनाल द्वारा तहसीलदार करनाल को छापेमारी दल का सदस्य बनने का आदेश दिया गया था, लेकिन वह इसकी जानकारी लीक होने के कारण छापेमारी सफल नहीं हो सकी. फिर उक्त आरोपी राम भज ने उक्त एसआई राजिंदर सिंह के खिलाफ एसएसपी, करनाल और डीजीपी, पंचकुला को टेलीग्राम भी भेजे। इसके अलावा उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और इस मामले में उन्हें झूठा फंसाने की दलील दी क्योंकि एसआई राजिंदर सिंह उनके और उनके सह-अभियुक्तों के प्रति शत्रुतापूर्ण थे। उनके सह-अभियुक्तों ने भी सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए अपने बयानों में उनकी याचिका को अपनाया।

(8) आरोपियों ने अपने बचाव में इसके अलावा दो डीडब्ल्यू की भी जांच की कुछ दस्तावेज़ प्रस्तुत करना, अर्थात् क्रमशः 1.5.2003 एक्स.डीपी और एक्स.डीओ दिनांकित निर्णय और डिक्री-शीट की प्रति, 29.7.2002 एक्स.डीआर दिनांकित एक आदेश की प्रति, याचिका एक्स.डीएस की प्रति और डीजीपी को भेजे गए टेलीग्राम की प्रति। चंडीगढ़ और एसपी, करनाल एक्स.डीटी और एक्स.डीयू, क्रमशः दो आवेदन मार्क-एक्स और मार्क-वाई की प्रति के साथ।

(9) विद्वान ट्रायल कोर्ट ने विद्वान जनता को सुनने के बाद राज्य के अभियोजक, विद्वान बचाव पक्ष के वकील और रिकॉर्ड का अध्ययन करते हुए वर्तमान अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 304-बी और 201 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया और उन्हें फैसले और सजा के आदेश के तहत सजा सुनाई, जबकि उनके शेष साथियों को बरी कर दिया। आरोपी।

(10) अपीलकर्ताओं के साथ-साथ उपर्युक्त पुनरीक्षणकर्ता विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निर्णय और सजा के आदेश से संतुष्ट नहीं होने के कारण तत्काल अपील और पुनरीक्षण में आए, जिसकी सूचना संबंधित उत्तरदाताओं को दी गई थी। विद्वान ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड भी मांगा गया था।

(11) सभी पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा उनके सक्षम सहयोग से अभिलेख का परीक्षण भी किया गया।

(12) इस मामले में, कुछ स्वीकृत तथ्य यह हैं कि विवाह

भतेरी देवी (चूंकि मृतक) का जन्म 21.2.2000 को आरोपी राजिंदर कुमार के साथ हुआ था और उसकी शादी की तारीख से लगभग दो साल तीन महीने के भीतर यानी उसकी तारीख से सात साल के भीतर 28.5.2002 को उसके ससुराल में उसकी मृत्यु हो गई। शादी। फिर यह भी स्वीकार किया गया कि उसने गर्भावस्था के सातवें महीने में एक बेटे को जन्म दिया। मौजूदा मामले में, अपीलकर्ताओं को यह साबित करना था कि मृतक की मृत्यु प्राकृतिक मृत्यु थी, न कि किसी असामान्य परिस्थिति में, ताकि मृतक की मृत्यु के लिए आपराधिक दायित्व से खुद को मुक्त किया जा सके।

(13) अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में लगभग चार महीने की देरी हुई है क्योंकि कथित घटना 28.5.2002 की रात को हुई थी और इस संबंध में मामला पुलिस को 23.8.2002 को सूचित किया गया था। इस देरी को अभियोजन पक्ष द्वारा संतोषजनक ढंग से नहीं समझाया गया है और इस प्रकार यह अभियोजन के मामले के लिए घातक है। बल्कि इसकी व्याख्या वैसे ही की जा सकती है जैसे पहले की थी इस मामले में वर्तमान अपीलकर्ताओं और अन्य लोगों को झूठा फंसाने के लिए शिकायतकर्ता द्वारा एक मुर्गा और बैल की कहानी बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था।

(14) अब ये देखना होगा कि मामले की सुनवाई के दौरान इस देरी के संबंध में अभियोजन पक्ष आखिर कौन से सबूत हाथ लगे हैं. इस में संबंध में PW1 राजा राम - शिकायतकर्ता ने बताया कि एक प्राप्त होने पर अपनी बेटी - भतेरी देवी की मृत्यु के बारे में टेलीफोन संदेश, वह अपने भाइयों और अन्य व्यक्तियों के साथ आरोपी मेहर सिंह के घर पहुंचे, यानी उनकी बेटी के ससुर (मृतक के बाद से)। उनके आने से पहले ही उसका दाह संस्कार कर दिया गया था. जब उन्होंने मृतक की मृत्यु के कारण के बारे में पूछताछ की, तो मेहर सिंह और अन्य लोगों ने उन्हें बताया कि मृतक की मृत्यु के कारण के बारे में उनके संदेह को दूर करने के लिए उनकी संतुष्टि के लिए पंचायत आयोजित की जाएगी। लेकिन उस दिन कोई पंचायत नहीं हुई बल्कि 14.7.2002 को मेहर सिंह के घर पर ही पंचायत हुई। उस पंचायत के दौरान उन्हें बताया गया कि भतेरी देवी ने आत्महत्या कर ली है. पीडब्लू1 के उपरोक्त चर्चित कथन की पुष्टि पीडब्लू1 के भाई परमल ने भी की है, जो इस मामले में पीडब्लू2 के रूप में उपस्थित हुए थे।

(15) प्रारंभ में, शिकायतकर्ता पक्ष ने मृतक की मृत्यु के बारे में आरोपी व्यक्तियों द्वारा बताए गए संस्करण पर भरोसा किया और संतुष्ट रहा। इसने शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से अच्छी समझ का परिचय दिया वे इस मुद्दे पर चुप रहे, जबकि आरोपियों पर भरोसा किया कि मृतक की मौत के संबंध में उनकी संतुष्टि के लिए एक पंचायत आयोजित की जाएगी। यह पंचायत 14.7.2002 को हुई थी जिसमें शिकायतकर्ता पक्ष को मेहर सिंह के भाई शेर सिंह ने अवगत कराया कि भतेरी देवी ने आत्महत्या कर ली है। शिकायतकर्ता एक अनपढ़ और देहाती ग्रामीण था। फिर फैसले की प्रति दिनांक 1.5.2003 एक्स.डीपी ने यह भी दर्शाया कि मेहर सिंह की बेटी जोगिंदरो उर्फ पिंकी की

शादी राजा राम के बेटे सोम प्रकाश उर्फ सोम के साथ हुई थी, जो शिकायतकर्ता था। तो इस प्रकार शिकायतकर्ता पक्ष और आरोपी व्यक्ति दोनों वर्तमान शिकायतकर्ता की बेटी भतेरी देवी (मृतक) की शादी आरोपी राजिंदर कुमार पुत्र मेहर सिंह के साथ होने के कारण एक-दूसरे से घनिष्ठ संबंध थे। बदले में आरोपी मेहर सिंह की बेटी जोगिंदरो उर्फ पिंकी की शादी वर्तमान शिकायतकर्ता राजा राम के बेटे सोम प्रकाश उर्फ सोम के साथ हुई थी। तो उपरोक्त कारणों के कारण, शुरू में शिकायतकर्ता ने आरोपी व्यक्तियों को सजा दिलाने के लिए उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने के बारे में नहीं सोचा होगा। शिकायतकर्ता पक्ष को चोट लगने पर आरोपियों के पड़ोसियों से पता चला कि भतेरी देवी को आरोपियों ने फांसी लगाकर मार डाला है। फिर दिनांक 14.7.2002 को पंचायत में शेर सिंह ने शिकायतकर्ता पक्ष को बताया कि भतेरी देवी ने आत्महत्या कर ली है। इसलिए इसी तारीख से, शिकायतकर्ता को अपनी बेटी की मौत के वास्तविक कारण के बारे में पता चला और उसने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के लिए पुलिस के पास एक आवेदन दायर किया, जिसके परिणामस्वरूप मामले में एफआईआर दर्ज की गई। हाथ। तो अभियोजन पक्ष द्वारा एफआईआर दर्ज करने में लगभग चार महीने की उपरोक्त देरी को संतोषजनक ढंग से समझाया गया।

(16) फिर इसका तर्क विद्वान वकील द्वारा भी दिया जाता है अपीलकर्ताओं का कहना है कि मृतक को 28.5.2002 की रात को पेट में दर्द हुआ और उस दर्द के कारण उसकी मृत्यु हो गई और इस प्रकार यह प्राकृतिक मृत्यु का मामला था। यह एक तथ्य है कि कथित घटना की तारीख पर, मृतिका अपने पति और ससुराल परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शिव कॉलोनी, करनाल में रहती थी। क्या उसे 28.5.2002 रात में पेट में दर्द हुआ था?, तब यह उसके पति का कर्तव्य था कि वह उसे चिकित्सा जांच के लिए किसी अस्पताल में ले आए और उसके कथित पेट दर्द के संबंध में उसे चिकित्सा सहायता प्रदान करे। लेकिन उन्होंने इस संबंध में कुछ नहीं किया. तब मृतिका की कोई हिस्ट्री नहीं थी कि या तो वह लंबे समय से पेट दर्द से पीड़ित थी या अपनी उक्त बीमारी के कारण किसी डॉक्टर से इलाज करा रही थी.

(17) भले ही यह माना जाता है कि मृतका की मृत्यु उसके कथित पेट दर्द के कारण हुई थी, तब भी उसके पति और उसके परिवार के अन्य सदस्यों का आचरण इसे उचित नहीं ठहराता है। मामले में
पीडब्ल्यू1, पीडब्ल्यू2 और पीडब्ल्यू6 के बयानों में यह बात सामने आई थी कि भटेरी देवी (मृतका) की मौत के बारे में पता चलने के बाद जब वे उसके ससुराल पहुंचे तो उसके ससुराल वालों ने उनके आने से पहले ही उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया था। विवेक और वे भटेरी देवी की मौत के संबंध में उसके माता-पिता और उसके अन्य रिश्तेदारों से कुछ छिपाना चाहते थे। इसलिए वे दोषी हो सकते हैं। (18) फिर यह भी तर्क दिया गया कि यह अभियोजन का मामला था अपीलकर्ता राजिंदर कुमार, मृतिका के पति थे शिकायतकर्ता से उसे सरकारी नौकरी दिलाने के लिए 50,000-55,000/- रुपये की राशि की मांग की गई और अभियोजन पक्ष की यह दलील फाइल पर अच्छी तरह से साबित नहीं हुई और न ही उस हद तक अभियोजन पक्ष का बयान विश्वसनीय है। इसमें अपीलकर्ता के वकील ने दलील दी है कि राजिंदर कुमार ने केवल तीसरी कक्षा तक पढ़ाई की है और इसलिए वह किसी भी

सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं हैं। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने डीडब्ल्यू1 अशोक, जे.बी.टी. के बयान का हवाला दिया है। शिक्षक जिसने अपीलकर्ता राजिंदर के स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र को पूर्व डीडी के रूप में साबित किया था। इस प्रमाणपत्र से पता चलता है कि अपीलकर्ता को पहले सरकारी प्राइमरी स्कूल में दाखिला मिला था गांव पिंगली, जिला करनाल और उन्होंने तीसरी कक्षा में पढ़ते समय स्कूल छोड़ दिया। लेकिन यह स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं है कि यह अपीलकर्ता - राजिंदर कुमार के आगे के अध्ययन के लिए एक पूर्ण बाधा थी। हो सकता है उसने उक्त स्कूल छोड़ने के बाद किसी दूसरे स्कूल में दाखिला ले लिया हो। अपीलकर्ता राजिंदर कुमार की शैक्षणिक योग्यता के बारे में शिकायतकर्ता पीडब्लू 1 राजा राम ने कहा है कि वह उसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में नहीं जानता है। उन्होंने अपनी बेटी की सगाई से पहले इस तथ्य के बारे में कोई पूछताछ नहीं की। इसलिए प्रमाणपत्र Ex.DD बचाव पक्ष की दलील का समर्थन नहीं करता है कि अपीलकर्ता राजिंदर कुमार सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य थे। अन्यथा भी, उसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए 50,000-55,000/- रुपये की उपरोक्त राशि की आवश्यकता हो सकती है और उसने शिकायतकर्ता के सामने यह दिखावा किया होगा कि उसे कुछ सरकारी नौकरी पाने के लिए इसकी आवश्यकता है।

(19) तब अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने यह तर्क दिया है अपीलकर्ता राजिंदर कुमार अपनी पत्नी को अच्छी स्थिति में रख रहे थे और वह उसे सभी प्रकार की आवश्यक चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए प्रसव के समय अस्पताल भी ले गए। इस संबंध में, उन्होंने DW2 - राज कुमार के बयान का हवाला दिया है, जिन्होंने राजिंदर कुमार की पत्नी सुनीता और उसके नवजात शिशु के प्रवेश से संबंधित कुछ मेडिकल दस्तावेजों Ex.DE से Ex.DH और Ex.DJ से Ex.DO को साबित किया था। अस्पताल में बच्चा. एक्स.डी.ई. उक्त सुनीता का डिस्चार्ज कार्ड है जो एस.डी. में भर्ती थी। महाबीर दल, अस्पताल, करनाल में 5.10.2001 को डिलीवरी के लिए और 6.10.2001 को छुट्टी दे दी गई। जहां तक शेष दस्तावेजों Exs.DF, DG, DH, DJ, DK, DL, DM, DN और DO का संबंध है, ये सुनीता के बच्चे से संबंधित हैं। इसका मतलब यह है कि मरीज सुनीता को उक्त अस्पताल में केवल एक दिन के लिए भर्ती रखा गया था और जबकि उसके बच्चे को 25.10.2001 तक अस्पताल में भर्ती रखा गया था। दस्तावेज़ Ex.DE के अलावा, मरीज़ सुनीता के कथित प्रसव के समय उसे प्रदान किए गए चिकित्सीय उपचार के संबंध में रिकॉर्ड पर कोई अन्य दस्तावेज़ नहीं है। फिर दोनों पक्षों का यह स्वीकारोक्ति मामला है कि उसने गर्भावस्था के सातवें महीने में समय से पहले बच्चे को जन्म दिया। तो ऐसे में उसे और उसके बच्चे दोनों को अत्यधिक देखभाल की आवश्यकता थी उनके अच्छे स्वास्थ्य की खातिर. जैसा कि ऊपर कहा गया है कि डिलीवरी के अगले ही दिन उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई, जो तथ्य से ही पता चलता है कि उसका पति उसे शारीरिक रूप से फिट रखने के लिए उसकी उचित देखभाल नहीं कर रहा था। इसके अलावा, यह उसके पति का नैतिक कर्तव्य था कि वह उसकी कथित डिलीवरी के संबंध में उसे किसी अस्पताल में भर्ती कराए। इसलिए यह मेडिकल रिकॉर्ड भी इस अपीलकर्ता को अपनी बेगुनाही साबित करने में किसी भी कोण से मदद नहीं करता है। फिर यह भी है
ज्ञात हो कि भतेरी देवी को मृतक के बाद से सुनीता के नाम से भी जाना जाता था।

(20) फिर अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि जांच अधिकारी एसआई राजिंदर सिंह, आरोपी व्यक्तियों के प्रति शत्रुतापूर्ण थे और वे उक्त एसआई राजिंदर सिंह की मिलीभगत से शिकायतकर्ता द्वारा झूठे तरीके से इस मामले में शामिल थे। इसमें उन्होंने Ex.DT और Ex.DU दस्तावेजों का भी हवाला दिया है। Ex.DT राम भज द्वारा दिनांक 2.9.2002 को डीजीपी, हरियाणा, चंडीगढ़ को भेजे गए टेलीग्राम की प्रति है

और एक्स.डीयू उनके द्वारा एसएसपी, करनाल को भेजे गए टेलीग्राम की प्रति है। दोनों टेलीग्राम का विषय यह था कि उन्होंने विजिलेंस ब्यूरो के समक्ष पुलिस चौकी, राम नगर के प्रभारी एसआई राजिंदर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि वह उनसे रिश्वत के रूप में 15,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। , ऐसा न करने पर उसे आईपीसी की धारा 120-बी के तहत तत्काल मामले में शामिल किया जाए। इस शिकायत को दर्ज करने के कारण, पुलिस चौकी, राम नगर के प्रभारी ने उनके प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया। तो इस प्रकार वह उक्त चौकी प्रभारी की मिलीभगत से शिकायतकर्ता राजा राम द्वारा झूठे मामले में शामिल किया गया था। लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार इन दोनों दस्तावेजों को उनके बयान की सत्यता को चुनौती देने के लिए पीडब्ल्यू 8 एसआई राजिंदर सिंह से जिरह में नहीं रखा गया था। इसके अलावा, इस मामले में राम भज को पांच अन्य लोगों के साथ निचली अदालत ने अपने फैसले के तहत बरी कर दिया है। उनके बरी होने के ख़िलाफ़ राज्य द्वारा कोई अपील नहीं की गई है। तो इस आधार पर, उपरोक्त दोनों दस्तावेज़ मौजूदा अपीलों के निर्णय के लिए प्रासंगिक नहीं पाए जाते हैं। इसलिए अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील की उपरोक्त दलील को अस्वीकार कर दिया गया और तदनुसार निपटारा किया गया।

(21) इसके बाद विद्वान वकील द्वारा भी इसका तर्क दिया गया अपीलकर्ताओं का कहना है कि मेहर सिंह की बेटी जोगिन्दरो उर्फ पिंकी ने शिकायतकर्ता राजा राम के बेटे सोम प्रकाश उर्फ सोम के खिलाफ हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 (i) और 13 के तहत तलाक के लिए याचिका दायर की थी और उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया गया था। इस तलाक की याचिका दायर करने के बाद शिकायतकर्ता पक्ष। फैसले की एक प्रति और डिक्री-शीट जिसके तहत इस याचिका का निपटारा किया गया था, को रिकॉर्ड पर रखा गया था इस मामले की सुनवाई क्रमशः Ex.DP और Ex.DQ के रूप में हुई। Ex.DP के अवलोकन से पता चलता है कि यह याचिका 29.7.2002 को स्थापित की गई थी, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इस याचिका में प्रतिवादी सोम प्रकाश उर्फ सोम पुत्र राजा राम की सेवा कब प्रभावित हुई थी। प्रतिवादी की सेवा की तिथि से ही यह कहा जा सकता है कि वर्तमान शिकायतकर्ता का परिवार था आइये जानते हैं इस तलाक की याचिका दायर करने के बारे में। तब पीडब्ल्यू 1 राजा राम - शिकायतकर्ता ने अपनी जिरह में बताया कि उसे इस तलाक याचिका के बारे में 20.9.2002 को पता चला।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, तत्काल मामले में एफआईआर Ex.PA/1 23.8.2002 को दर्ज की गई थी। इस याचिका का भी प्रतिवादी द्वारा विरोध नहीं किया गया था और निर्णय Ex.DP और डिक्री Ex.DQ दिनांक 1.5.2003 के माध्यम से एकपक्षीय अनुमति दी गई थी। यहां तक कि आरोपी मेहर सिंह की बेटी ने भी इलाके में अपने माता-पिता के परिवार के घर में अपने पति की बहन की मौत के प्रतिशोध में अपने पति और उसके परिवार के सदस्यों के हाथों उत्पीड़न से खुद को बचाने के लिए तलाक की याचिका दायर की होगी। शिव

कॉलोनी, करनाल की उक्त बहन के बाद से पति (अब इस मामले में मृत) की शादी उसके सगे भाई से हुई थी। इसलिए उपर्युक्त निर्णय और डिक्री का तत्काल मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

(22) विद्वान परीक्षण न्यायालय अनाज को अलग करने में सफल रहा है आक्षेपित निर्णय सुनाते समय भूसी से। यदि वर्तमान अपीलकर्ताओं के सह-अभियुक्तों को इस फैसले से बरी कर दिया जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे भी समान लाभ के हकदार हैं। उक्त सह-अभियुक्तों को इस कारण बरी कर दिया गया क्योंकि अभियोजन इस मामले में उनका अपराध साबित करने में सफल नहीं हुआ।

(23) जहाँ तक "मृत्यु से तुरंत पहले" शब्दों का संबंध है, किसी भी निर्धारित सीमा के भीतर इसका वर्णन या परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इस अवधारणा का निर्धारण न्यायालय द्वारा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों और पक्षों के आचरण के आलोक में किया जाना है। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक यह है कि कथित क्रूरता और पीड़ित की मृत्यु की तारीख के बीच कोई अत्यधिक देरी न हो। इसका मतलब यह है कि इन दोनों घटनाओं के बीच निकटता होनी चाहिए। मौजूदा मामले के तथ्यों पर इस फैसले के पैरा नंबर 2 में पहले ही चर्चा की जा चुकी है। स्पष्टता के लिए, यहां उल्लेख किया गया है कि अपीलकर्ता राजिंदर कुमार ने कुछ सरकारी नौकरी दिलाने की दलील पर जनवरी, 2002 के महीने में शिकायतकर्ता से 50,000-55,000/- रुपये की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थता जताई। वह 5-7 दिन बाद फिर शिकायतकर्ता के पास आया और अपनी पहले वाली मांग रखी। शिकायतकर्ता ने उन्हें 3,000-4,000/- रुपये की पेशकश की। तब उनके दामाद ने उन्हें बताया कि उनकी मांग 50,000-55,000/- रुपये की थी और जबकि वह दे रहे थे। उसे केवल 3,000 - 4,000/- रु. जब शिकायतकर्ता ने ऐसा करने में असमर्थता जताई तो वह शिकायतकर्ता को यह कहकर वहां से चला गया कि वह अपनी बेटी को उसके पास भेज देगा और तब तक उपरोक्त रकम का इंतजाम कर लेगा और इन पैसों के साथ उसकी बेटी को वापस भेज देगा। शिकायतकर्ता की बेटी 4-5 दिनों के बाद उनके पास आई और उन्हें अपनी दुखभरी कहानी सुनाई कि उसके ससुराल वाले उससे उपरोक्त रकम की मांग कर रहे हैं और ऐसा न करने पर उसे मार

डालेंगे। दिनांक 25.5.2002 को शिकायतकर्ता द्वारा कुछ अन्य सम्मानित लोगों के साथ उसे उसके ससुराल ले जाया गया और उसके ससुराल वालों को ऐसा न करने के लिए मनाने के बाद, वे शिकायतकर्ता की बेटी को वहीं छोड़कर वापस आ गए। 28.5.2002 की रात को उसकी ससुराल में मृत्यु हो गई और शिकायतकर्ता को मिला 29.5.2002 को उनकी मृत्यु की खबर। अत: उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्य एक अप्रतिरोध्य निष्कर्ष की ओर सूचक हैं कि परिवादी की पुत्री के साथ उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले उसके पति द्वारा नकदी की मांग करने पर क्रूरता बरती गई थी तथा उसकी मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में अप्राकृतिक तरीके से हुई थी।

(24) यहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत हैं अशोक कुमार बनाम हरियाणा राज्य शीर्षक वाले मामले में निम्नलिखित का विवरण दिया गया है:-

"अदालतों ने यह भी विचार किया है कि पति कहाँ था अपने ससुर से विशेष रकम की मांग की और न देने पर पत्नी को प्रताड़ित और प्रताड़ित किया और कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई, ऐसे मामले स्पष्ट रूप से दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के तहत 'दहेज' की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। इसकी धारा 4 अधिनियम दंडात्मक धारा है और परिभाषा के अनुसार 'दहेज' की मांग करता है इस अधिनियम की धारा 2 के तहत, इस धारा के तहत दंडनीय है।

आईपीसी की धारा 304-बी में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति, 'उसकी मृत्यु से ठीक पहले' है। हमारे विचार में, अभिव्यक्ति `जल्द ही उसकी मृत्यु से पहले' को प्रतिबंधित या संकुचित नहीं किया जा सकता अर्थ। उन्हें उनकी सरल भाषा में समझा जाना चाहिए और सामान्य बोलचाल की भाषा में उनके अर्थ के संदर्भ में। ये हैं मानव व्यवहार से संबंधित प्रावधान और इसलिए, नहीं कर सकते इतना संकीर्ण अर्थ दिया जाए, जो मूल को ही परास्त कर दे अधिनियम के प्रावधानों का उद्देश्य. बेशक, ये दंडात्मक हैं प्रावधान और सख्त निर्माण प्राप्त करना चाहिए। लेकिन, नियम भी सख्त निर्माण के लिए आवश्यक है कि प्रावधानों को पढ़ा जाए के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और योजना के संयोजन में कार्यवाही करना। इसके अलावा, दी गई व्याख्या ऐसी होनी चाहिए जो कि हो एक ओर बेतुके परिणामों से बचें और दूसरी ओर उद्देश्य को आगे बढ़ाएं और दूसरे पर इस प्रकार अधिनियमित कानून का कारण।

(25) इसके अलावा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113-बी के प्रावधानों के तहत प्रावधान के अनुसार राजिंदर कुमार - अपीलकर्ता, जो भतेरी देवी (मृत्यु के बाद से) का पति था, के खिलाफ अनुमान लगाया जा सकता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय की माननीय पूर्ण पीठ द्वारा. में निर्धारित केस कानून से समर्थन लिया गया है।वी.के मिश्रा और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य**, 2012** की आपराधिक अपील संख्या 1247, 28.7.2015 को निर्णय लिया गया। पैरा इस प्राधिकरण की संख्या 38 इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है जिसे निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

जहां अभियोजन पक्ष ने दिखाया है कि 'उसकी मौत से ठीक पहले' मृतिका को पति द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था या दहेज की मांग के संबंध में ससुराल वालों पर, साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के तहत धारणा उत्पन्न होती है और न्यायालय यह मान लेगा कि ऐसा व्यक्ति जिसने किसी भी मांग के संबंध में महिला के साथ क्रूरता या उत्पीड़न किया था।

---

1 2010(12) SCC 350

अवीकरण :
स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमितउपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सकें और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणित होगा और निष्पादन और कार्यावअन्य के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

वसुंधरा राव
प्रशिक्षुन्यायिक अधिकारी, हरियाणा।

.